रसद विविध प्रकरण संख्या : 16/2024
उनवान : सरकार जरिये सीमा जाखड थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव बनाम मगनाराम
अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 16/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/19

प्रार्थी :	बनाम	अप्रार्थी :
सरकार जरिये सीमा जाखड थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव		मगनाराम पुत्र विरदाराम जाति जाट निवासी राजेन्द्र नगर पाली पीएस औद्योगिक क्षेत्र पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति : अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

–:निर्णयः–

दिनांकः 09.07.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अंजना सुखवाल आरपीएस वृताधिकारी वृत ग्रामीण पाली ने दिनांक 26.07.2014 को उपस्थित होकर थाना में एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव को इस आशय की पेश कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पाली के निर्देशानुसार एनएच 14 पर आये होटल, ढाबो की चैकिंग हेतु श्रीमती अंजना सुखवाल आरपीएस वृताधिकारी वृत ग्रामीण पाली मय श्री गोपसिंह देवडा थानाधिकारी गुडा एन्दला मय जाप्ता के व पुलिस लाईन पाली से प्राप्त जाप्ता व तलवीदा मनोज राणा उनि थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव मय जाप्ता व अनुसंधान बोक्स के मौके पर सरहद सिमला होटल पर पहूंचे जहा पर उपस्थित मौतबिरान के रुबरु सिमला होटल पर प्रवेश कर काउन्टर पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम सोयल भाई पुत्र स्माईल खां जाति मुसलमान निवासी मेत्राणा पाठन गुजरात का होना बताया उक्त होटल मालिक के बारे में पुछताछ की तो बताया कि होटल मालिक मंगलाराम व सुजाराम चौधरी है। जो दोनों बाहर जाना बताया है। होटल में प्रवेश किया तो बडा होल व खाने कि टेबल लगी हुई है। उसके बाये तरफ रसोई व दायी तरफ स्टोर रुम है उसके आगे पिछे खुला हिस्सा है। व बार की और दाहिनी तरफ एक छोटा कमरा है। जिस कमरे का ताला सोयल भाई के द्वारा खुलवाकर देखा तो कमरा में चार एचपी कम्पनी के गैस की टंकिया भरी हुई कम्पनी सील लगी हुई थी। उपरोक्त टंकियो पर लगे सीरियल नम्बर देखे तो सीरियल नम्बर क्रमशः 373907, 42244, 645396, 384134 अंकित पाये उन चारो टंकियों का तोल किया तो चारो टंकियों का तोल क्रमशः 26.300 के.जी., 28.20 के.जी., 31 के.जी., 28 के. जी. पाया उन टंकियों के दस्तावेजों के बारे में सोयलभाई से पुछा तो इनके दस्तावेज मंगलाराम व सुजाराम के पास होना बताया होटल के अंडर ग्राउण्ड कमरे में चार जरिकेन मे केमीकल भरा पाया व उनके पास में एक काले रंग की रबड की पाईप मिली व होटल के पास ही सीढीयों से उपर एक कमरा बना हुआ है उक्त कमरा में दो जरिकेन केमीकल से भरे हुए मिले उक्त छः जरीकेन में भरा केमीकल व पाईप बाबत पुछा तो मंगलाराम व सुजाराम का होना बताया व उन्हीं के द्वारा रखना बताया। होटल का अंडर ग्राउण्ड हिस्सा व बाहरी व उपरी हिस्सा मंगलाराम व सुजाराम के कब्जें में होना बताया, काले रंग पाईप रबड की नाप किया तो 22 फीट लम्बी है। एक सिरे पर पर जडा चुडीदार वॉल लगा हुआ है। एक जरिकेन काले रंग का जिसका तोल किया तो 40 केजी वजन पाया, जिसमें हल्का पीला तरल पदार्थ होना पाया। जिसमें से 01 लीटर अलग से नमूना सेम्पल निकालकर मार्क ए पैकेट पर शील्ड चैपा किया गया व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

रसद विविध प्रकरण संख्या : 16/2024
उनवान : सरकार जरिये सीमा जाखड थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव बनाम मगनाराम
अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

जैरिकेन का मुह शिल्ड मोहर मार्क ए1 अंकित किया व दुसरा हल्का कबुतरी रंग का जरिकेन का तोल किया तो वजन 34 के.जी. हुआ जिसमें हरा रंग का केमीकल भरा हुआ जिसमें से एक लीटर अलग से नमूना सेम्पल निकालकर मार्क वी जैरिकेन का मुह शिल्ड मार्क वी 1 अंकित किया। तीसरा आसमानी रंग का जैरिकन जिस पर 8237 लिखा है जिसका वजन 17 के.जी. पाया जिसमें सफेद रंग का केमीकल भरा पाया जिसमें 01 लीटर अलग से नमूना सैम्पल निकालकर मार्क सी अंकित किया व जैरिकन का मुंह शील्ड कर मार्क सी 1 अंकित किया। चौथा जैरिकन आसमानी रंग का जिसमे हल्के पीले रंग का कैमीकल भरा पाया जिसका वजन किया तो 32 के.जी. पाया जिसमें से 01 लीटर अलग से नमूना सैम्पल निकालकर मार्क डी अंकित किया व जैरिकन का मूंह शील्ड कर मार्क डी 1 अंकित किया। पांचवा जैरिकन का तौल किया तो 35 के.जी. पाया जिसमे सफेद रंग का कैमीकल भरा हुआ पाया जिसमें 1 लीटर अलग से नमूना सैम्पल निकालकर मार्क ई अंकित किया व जैरिकन का मूंह शील्ड कर मार्क ई 1 अंकित किया। छठे जैरिकेन पर लाल ढक्कन लगा हुआ तोल किया तो 45 के.जी. पाया जिसमें पानी जैसा रंगहीन केमीकल भरा हुआ पाया जिसमे से 01 लीटर अलग से नमूना सैम्पल निकालकर मार्क एफ अंकित किया व जैरिकेन का मूंह शील्ड मोहर कर मार्क एफ 1 अंकित किया। रबड की पाईप पर चैपा लगाकर मार्क जी अंकित किया। चारो गैस सिलेण्डर पर मार्क एस. एस1, एस2, एस3 अंकित किया।

मौके पर मिले गैस सिलेण्डरों व कैमिकल के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर को दुरभाष पर इतला कर मौके पर पर बुलाया गया। मौके पर श्री कमलकुमार उपस्थित आए। जिनके द्वारा जब्तशुदा गैस सिलेण्डर का मुआयना कर बताया कि उक्त गैस सिलेण्डर घरेलु उपयोग में लिया जा सके इनका उपयोग व्यवसायिक होटल आदि में उपयोग लिया जाना धारा 3/7 इ.सी. एक्ट का अपराध है तथा बरामद कैमीकल के बारे मे राय एफएसएल परीक्षण से लिये जाने की उक्त होटल संचालक मंगलाराम व सुजाराम राष्ट्रीय राजमार्ग न. 14 से गुजरने वाले वाहनो से चोरी छूपे निकाल आगे बाजार से अधिक मूल्य में वेचना पाया जाता है जुर्म धारा 3/7 इ.सी. एक्ट व 379/411 भादस व 15,16, 17 पैट्रोलियम अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है जिस पर उपरोक्त गैस सिलेण्डरों व जैरिकेन कैमीकल से भरे वजह सबुत कब्जा पुलिस लिये गये व एक मौके से एक जीप महिन्द्रा डी.आई रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे. 21 सी 0965 जब्त की गई। अतः मौके पर मुर्तिबा फर्दात व बरामदा गैस सिलेण्डर व कैमीकल से भरे जैरिकेन शील्डसुदा कैमीकल के सैम्पल शील्ड सुदा छः पैकेट वास्ते कायमी मुकदमा हेतु पेश किये। जिस पर वगैरा मुकदमा नम्बर 90 दिनांक 26.07.2014 धारा 3/7 ई. सी. एक्ट व 379/411 भादस व 15,16,17 पैट्रोलियम अधिनियिम में दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान सी.ओ. सावह सुमेरपुर के हवाले की गई

सी.ओ. साहब सुमेरपुर द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया जो इस प्रकार है कि दौराने अनुसंधान मुर्तिवा फर्दात पर मुकदमा नम्बर अंकित किये गये। बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी बरामदगी स्थल मुर्तिव कर शामिल पत्रावली किये गये तथा गवाह श्रीमती अंजना सुखवाल वृताधिकारी वृत ग्रामीण पाली, गोपसिंह उनि. पवर्तन निरीक्षक, श्री कमल कुमार से तफतीश कर कमल लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में हमराह जाप्ता श्री विक्रम कुमार कानि. 459 आरपीएल पाली, श्री बजरंगलाल कानि 625 आरपीएल पाली, श्री गोविन्दराम कानि. 815 आरपीएल पाली, पुरणमल कानि 483 आरपीएल पाली, रामाअवतार कानि 575 आरपीएल पाली, गिरधारीलाल कानि 655 आरपीएल पाली, दलाराम कानि 720 आरपीएल पाली, विकास कानि, 738 आरपीएल पाली, अजितसिंह कानि 148 आरपीएल पाली, सुनिता मकानि 1555 आरपीएल पाली, सुमन मकानि 823 आरपीएल पाली से अनुसंधान कर कथन शामिल पत्रावली किये गये। लिंकिग गवाह श्री अर्जुनसिंह मुआ 430, हनुमानसिंह मुआ 95 व श्रवण कुमार कानि 161 व गवाह श्री नाथुसिंह मुआ 408 से अनुसंधान कर बयान लिये गये। दौराने कार्यवाही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

रसद विविध प्रकरण संख्या : 16 / 2024
उनवान : सरकार जरिये सीमा जाखड थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव बनाम मगनाराम
अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

जब्तशुदा कैमीकल के नमूना सैम्पल मार्क ए, बी,सी,डी,ई,एफ मय कागजात के एफएसएल जांच के लिये भिजवाई जाकर राय मंगवाई गयी। तथा प्रकरण में एफएसएल प्राप्त रिपोर्ट में राय प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई तथा मुलजिमानों मंगलाराम चौधरी सुजाराम चौधरी से प्रकरण हाजा में माफिक आदेश माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर अनुसंधान कर पुछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये प्रकरण में मुलजिम श्री मंगलाराम चौधरी तथा सुजाराम चौधरी से बरामद कैमीकल के बारे में गहनता से पुछताछ की जाकर पुछताछ नोट शामिल पत्रावली किये गये। मुलजिम सुजाराम की एक्सीडेंण्ट होने से पीएम रिपोर्ट व एफ.आई.आर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

सम्पूर्ण अनुसंधान से मुर्तिबा फर्दात व बरामदगी स्थल का नजरी नक्शा एवं मुर्तिब फर्दात से दौराने कार्यवाही जब्तशुदा कैमीकल के नमूना सैम्पल मार्क क्रमशः ए.बी.सी.डी.ई.एफ. मय कागजात एव एफएसएल जांच के लिये भिजवाई जाकर राय से तथा प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट बयानात से गवाहान से व मुलजिमान सुजाराम चौधरी एक्सीडेंण्ट होने से पी.एम. रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट व एफआईआर कि प्रमाणित प्रति से प्रकरण हाजा में माफिक आदेश माननीय राज. उच्च न्यायालय के जमानत आदेश के जमानत मुचलके से व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुलजिमा मंगलाराम चौधरी के विरुद्ध धारा 3 / 7 ई.सी. एक्ट व 379 / 411 भादस व 15,16,17 पैट्रोलियम अधिनियिम बखुबी प्रमाणित पाये जाने पर कानुनी राय प्राप्त कर नतीजा चालानी आदेश प्राप्त कर मुलजिमा मंगलाराम चौधरी के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 64 दिनांक 31.07.2015 धारा 3 / 7 ई.सी. एक्ट व 379 / 411 भादस व 15,16,17 पैट्रोलियम अधिनियिम कता किया जाकर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुमेरपुर में दिनांक 01.10.2015 को पेश किया जा चुका है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

अतः इस्तगासा हाजा बर खिलाफ मुलजिम श्री मंगलाराम पुत्र श्री वीरदासजी जाति जाट पेशा व्यापार निवासी राजेन्द्र नगर पाली पीएस औद्योगिक क्षेत्र पाली के खिलाफ पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा में बरामद जीप न. आरजे. 21 सी 0956 व बरामदा गैस सिलेण्डर व कैमीकल से भरे जैरिकन शील्ड शुदा कैमीकल के सैम्पल शील्ड सुदा छः पैकैट जो मुलजिम के कब्जे से बरामद किये गये थे। तथा प्रकरण में अनुसंधान कर चार्जशीट न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम कोर्ट सुमेरपुर में पेश की गई जो प्रकरण न्यायालय में जैर ट्रायल है। फैसला होने तक प्रकरण हाजा में बरामद माल थाना हाजा पर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है बरामदा माल गैस सिलेण्डर लिंकेज हो सकते है तथा बरामदा केमकल खराब होने की संभावना है। अतः प्रकरण हाजा में बरामद माल कब्जा सरकार लिया जाकर मालखाना का नियमानुसार निस्तारण करवाने की कृपा करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या की ओर से काबिल अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

प्रकरण में प्रार्थी से जब्तशुदा माल के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी द्वारा जरिये पत्रांक 1113 दिनांक 11.06.2025 को निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गईः—

1. जब्तशुदा माल के सम्बन्ध में न्यायालय ए.सी.जे.एम. सुमेरपुर में प्रकरण लम्बित है।
2. उक्त अनवान में बरामदशुदा माल गैस सिलेण्डर एवं छः पैकेट कैमिकल का न्यायालय ए.सी.जे.एम. सुमेरपुर में साक्ष्य प्रदर्श नहीं हुआ है।
3. छः पैकेट तरल कैमिकल पदार्थ आवश्यक वस्तु की श्रेणी में माना गया है तथा एफ.एस.एल. परीक्षण क्रमांक **RFSL/JDR/CHEM/A&E/DIV/EXAM/43/14** दिनांक 08.06.2015 में भी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में पाया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

रसद विविध प्रकरण संख्या : 16 / 2024

उनवान : सरकार जरिये सीमा जाखड थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव बनाम मगनाराम अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण में बहस सुनने का निश्चय किया गया।

दौराने बहस प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं अतएव, काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी पक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अलग अलग न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है तथा किसी भी न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दोषी करार नहीं दिया गया है। अतः इस्तागासा खारिज फरमाया जाए।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर, कैमीकल से भरे जरिकैन शील्डशुदा कैमीकल के सैम्पल शील्डसुदा छः पैकेट की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट एवं दिनांक 11.06.2025 को प्रस्तुत सूचनाओं पर मनन उपरान्त न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि जब्तशुदा शेष माल के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम. सुमेरपुर में प्रकरण लम्बित है, एवं उपरोक्त अनवान में बरामदशुदा माल यथा गैस सिलेण्डर एवं छः पैकेट कैमिकल का न्यायालय में साक्ष्य प्रदर्श किया जाना शेष है। चूंकि न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम. सुमेरपुर में जब्तशुदा माल का साक्ष्य प्रदर्श किया जाना शेष है अतः जब्तशुदा सामग्री का न्यायालय ए.सी.जे.एम. सुमेरपुर में साक्ष्य प्रदर्श के अभाव में जब्तशुदा माल को राजसात करना अथवा अवमुक्त करना न्यायोचित नहीं पाते है। अतः इस्तगासा बज़तरफ थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव विरुद्ध अप्रार्थीपक्ष ख़ारिज किया जाता है। न्यायालय श्रीमान् एसीजेएम सुमेरपुर में लम्बित पूर्वोक्त प्रकरण के निस्तारण उपरान्त प्रार्थी प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा। ज़ब्तशुदा माल की सुरक्षा हेतु प्रार्थी थानाधिकारी जिला रसद अधिकारी से पृथक से पत्राचार कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मय तहरीर प्रार्थी को प्रेषित की जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली

क्रमांक / रसद वि.प्र.स. / 16 / 2024 / 2025 /

दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव
2. मगनाराम पुत्र विरदाराम जाति जाट निवासी राजेन्द्र नगर पाली पीएस औद्योगिक क्षेत्र पाली

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner